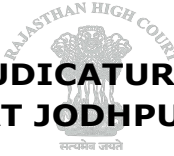




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 8873/2026
CNR: RJHC010551172026 | URN: CRLMB / 19273U / 2026

Govind S/o Madanlal Dangi, Aged About 20 Years, Resident Of
Langach Police Station Kapasan District Chittorgarh Rajasthan
(Presently Lodged In District Jail Chittorgarh)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Dungarmal Dangi S/o Dayaram Ji Dangi, Devari Police
Station Sadar Chittorgarh District Chittorgarh Rajasthan

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashok Khilery
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/07/2026

01. इस मामले में प्रत्यर्थी संख्या 2 पर नोटिस की बाद तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई है, परंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
02. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह द्वितीय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 360/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2) व 87 बी.एन.एस. व धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
03. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
04. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पत्रावली बहस अंतिम की स्टेज पर लंबित है। प्रार्थी-अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।



05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध किया तथा जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के गवाहों के बयानों का अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त के कथनानुसार यह मामला बहस अंतिम की स्टेज पर वर्तमान में नियत है।

07. इस मामले के तथ्यों परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस स्तर पर गुणावगुण पर टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

08. अतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. (439 सीआर.पी.सी.) खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J